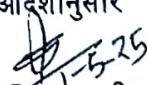


मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004
// आदेश//

भोपाल, दिनांक 01/05/2025

क्रमांक एफ 4/2/0001/2025/38-2 : राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शीर्ष समिति" का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

क.	नाम / संस्था का नाम	पद
1.	माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल	सदस्य
3.	आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल	सदस्य
4.	डॉ. आर.आर. कान्हेरे, अध्यक्ष, प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति, भोपाल	सदस्य
5.	डॉ. हर्षवर्धन श्रीवास्तव, कुलगुरु, ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना	सदस्य
6.	डॉ. अर्पण भारद्वाज, कुलगुरु, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	सदस्य
7.	डॉ. स्मिता सहस्त्रबुद्धे कुलगुरु, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर	सदस्य
8.	डॉ. प्रजेश अग्रवाल, निदेशक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	सदस्य
9.	डॉ. सुनीता जोशी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर मो.नं. 9993557017	सदस्य
10.	डॉ. मुकेश मिश्रा, निदेशक, दत्तोपंत ठेंगडी शोध संस्थान मो.नं. 7388868888	सदस्य
11.	डॉ. शशिरंजन अकेला, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, सी-13, शिवाजी नगर, भोपाल मो.नं. 9425094094	सदस्य
12.	डॉ. सचिन शर्मा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर मो.नं. 9826604747	सदस्य
13.	श्री अनित राय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग मो.नं. 8319543264	सदस्य
14.	डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग मो.नं. 9425009289	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वीरन सिंह भेलावी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पू. क्रमांक एफ 4/2/0001/2025/38-2

भोपाल दिनांक 01/05/2025

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल ।
3. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
6. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
7. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
9. समिति के समस्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
10. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
11. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
12. गार्ड फाईल
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

-5-25
अवर सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग